40

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक .... अपील स्टाम्प एक्ट

A 343/A/56

कु0 अंजना पिता राधेलाल पाटीदार
निवासी नारायणगढ तहसील मल्हारगढ जि
मन्दसौर ------अपीलान्ट

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन उपपंजीयक नीमच
2- सोहनबाई पति गोविन्दप्रसाद पाटीदार
निवासी जैसिंगपुरा तहसील नीमच जिला नीम
------रिस्पान्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 9, मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून मुद्रांक
निवारण नियम के तहत

आयुक्त कार्यालय से प्राप्त
2012

मान्यवर महोदय,

अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र
क्रमांक 151 : 2004-05 अपील मे पारित आदेश दिनांक 15-12-2005 के
विरूद्ध अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करती है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान
रिकार्ड के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 5 के किसी भी प्रावधा
पालन नही किया गया है तथा नियम 5 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्र
का पालन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने
गम्भीर वैधानिक भूल की है ।

3:- यह कि अखण्डनीय साक्ष्य पर विचार नही करने मे अधीनस्थ दो
न्यायालय ने त्रुटि की है ।

4:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड के विपरीत आदेश है इस
अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नही करने मे त्रुटि की है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील —343—एक / 2006 जिला —नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
04—04—2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक पेशी दिनांक 09—12—2010 से सूचना उपरांत लगातार अनुपस्थित हैं, उन्हें उक्त पेशी का नोटिस तामील हो चुका था। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 09—12—2010 से लगातार अनुपस्थित रहा है। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2006 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	